2024/709

निर्णय
04.11.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

विनोद कुमार बनाम स्टेट आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या [illegible] वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.05.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 31.05.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31.5.2024	[stamp] दिनांक 31.7.2024 (हस्ताक्षर)	
31.7.2024	[stamp] दिनांक 10.10.2024 (हस्ताक्षर)	
10.10.2024	[stamp] दिनांक 4.11.2024 (हस्ताक्षर)	
04.11.2024	वकलाए फरिकैन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व्गैरह के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। [illegible] सहित निर्णय अलग से [illegible] शामिल किया जावे। पत्रावली नक्शा मे [illegible] की जाकर बाद तकमील तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.11.16 17:19:34 IST
Reason: SelfAttested